सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No- Review/Dhanbad/Jharkhand05/2025-RU-4

दिनांक 27.05.2025 को झारखंड राज्य के धनबाद जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा किए गए दौरे की समीक्षा रिपोर्ट।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा धनबाद ज़िले का निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक

दिनांक: 27 मई 2025

स्थान: धनबाद, झारखंड

अध्यक्षता: डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

प्रस्तावना: दिनांक 27.05.2025 को डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में धनबाद ज़िले में विभागीय समीक्षा बैठक एवं योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। इस दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी प्राप्त की गई और संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्य का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं बाल पौधा भेंट कर किया गया। बैठक प्रारंभ करने से पूर्व आयोग के कर्तव्यों, संवैधानिक दायित्वों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री पी. के. दास	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री एच.आर.मीना	अनुसंधान अधिकारी
3.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव
4.	श्री राहुल	अन्वेषक
5.	श्री सुभाशीष सोरेन	विधिक सलाहकार
6.	श्री राहुल यादव	विधिक सलाहकार

विभागवार अवलोकन एवं माननीय सदस्य द्वारा सिफारिशें:

1. **शिक्षा विभाग:**
 - i. सभी विद्यालयों में छात्र उपस्थिति, ड्रॉपआउट तथा पुनः नामांकन की कोटिवार (SC, ST, OBC, सामान्य) जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 - ii. ड्रॉपआउट को रोकने हेतु विशेष अभियान चलाए जाएँ तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
 - iii. पारा शिक्षक एवं नियमित शिक्षकों सहित सभी शिक्षकों का विवरण, विशेषकर ST शिक्षकों की संख्या प्रस्तुत की जाए।
 - iv. CSR/DMFT फंड के उपयोग से कोचिंग, गाइडेंस व प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष केंद्र संचालित किए जाएँ।
 - v. बालकों/बालिकाओं में प्रतिभा विकास हेतु वाद-विवाद, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, खेलकूद इत्यादि नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ।
 - vi. छात्रवृत्ति पोर्टल की समय पर खुलने की निगरानी की जाए जिससे पात्र छात्र इससे वंचित न रहें।
2. **कल्याण विभाग:**
 - i. ST छात्रावासों में जल, शौचालय, रसोई, रात्रि प्रहरी, सफाईकर्मी आदि मूलभूत सुविधाओं की नियमित रूप से समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार सुधार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
 - ii. छात्रावासों की क्षमता एवं वास्तविक निवासरत छात्र संख्या के बीच अंतर का समाधान करते हुए आवश्यकतानुसार विस्तार या नए छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
 - iii. वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पट्टों की अद्यतन स्थिति दी जाए; सामूहिक खेती हेतु पात्र लाभुकों को चयन कर अधिकतम 5 एकड़ तक भूमि दी जाए।
3. **वन विभाग:**
 - i. व्यक्तिगत व सामूहिक वन पट्टों की अद्यतन स्थिति, लंबित दावों, और प्रस्तावित योजनाओं की रिपोर्ट दी जाए।
 - ii. वन धन विकास योजना के अंतर्गत महुआ, लाह, साल बीज जैसे उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु स्थानीय समूहों (SHG) को सशक्त किया जाए।
 - iii. खजूर के गुड़, मड़ुवा लड्डू, सालप के पेय पदार्थ जैसे पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण शिविर व विपणन तंत्र तैयार किया जाए।
4. **स्वास्थ्य विभाग:**
 - i. उपलब्ध मानव संसाधन (34 डॉक्टर, 5 GNM, 260 ANM) की तैनाती की स्थिति तथा रिक्तियों का विवरण दिया जाए।
 - ii. सिकल सेल, थैलेसीमिया व एनीमिया स्क्रीनिंग व उपचार हेतु विशेष अभियान चलाए जाएँ।
 - iii. दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा सेवा दी जाए तथा स्थानीय स्तर पर औषधि उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
 - iv. OPD व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार-प्रसार हेतु हिंदी में पोस्टर, फ्लेक्स, एवं स्थानीय रेडियो/दूरदर्शन का उपयोग किया जाए।
5. **आपूर्ति विभाग (PDS):**
 - i. जिले में संचालित सभी PDS दुकानों की सूची, कार्डधारियों की संख्या, तथा वितरण स्थिति की जानकारी दी जाए।

ii. जनजातीय क्षेत्रों में दुकानदारों की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए।

iii. डीलरों द्वारा राशन की कटौती, वितरण में अनियमितता की शिकायतों की त्वरित जांच व कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

6. **आवास विभाग:**

i. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अंतर्गत कुल स्वीकृत, निर्माणाधीन व पूर्ण आवासों की अद्यतन जानकारी दी जाए।

ii. बिरहोर जनजाति हेतु विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए आवास, शौचालय, बिजली, पेयजल व सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

iii. दोहराव से बचने हेतु लाभुकों का सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाए।

7. **नगर निगम:**

i. सभी स्लम क्षेत्रों की मैपिंग कर वहाँ पेयजल, शौचालय, शवदाह गृह, कचरा निपटान, स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

ii. जलापूर्ति योजना के दोनों फेज (Phase-1 और 2) की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट आयोग को दी जाए।

8. **ग्रामीण कार्य विभाग:**

i. ST बहुल क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मिट्टी-मोरम पथ निर्माण की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।

ii. कार्यपालक अभियंताओं द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर स्थलीय सत्यापन उपरांत प्रस्ताव भेजा जाए।

9. **श्रम नियोजन विभाग:**

i. जिले में पंजीकृत 1510 शिक्षित बेरोजगारों (879 पुरुष, 631 महिला) का कोटिवार विवरण प्रदान किया जाए।

ii. खनन, निर्माण, कृषि, घरेलू सेवा आदि क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।

iii. कुशल/अकुशल/अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की श्रेणीवार संख्या की जानकारी दी जाए।

10. **महिला एवं बाल विकास विभाग:**

i. 2231 आंगनबाड़ी केंद्रों में 315 ST क्षेत्रों में संचालित हैं; सभी केंद्रों की स्थिति (स्वामित्व, किराया, सामुदायिक भवन) स्पष्ट की जाए।

ii. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का चयन पारदर्शी रूप से हो और ST बहुल क्षेत्रों में जनजातीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।

11. **सामाजिक सुरक्षा विभाग:**

i. संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन) की अद्यतन लाभुक संख्या और लंबित मामलों की जानकारी दी जाए।

12. **सामाजिक न्याय विभाग:**

i. SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों का कोटिवार विवरण, मुआवजा भुगतान स्थिति और न्यायालय में लंबित मामलों की सूची दी जाए।

13. **पुलिस विभाग:**

i. महिला थाना और ST थाना की कार्यप्रणाली, स्टाफ की संख्या व कार्यदायित्व की जानकारी दी जाए।

ii. ट्रैफिकिंग, नशीली वस्तुएं, बाल श्रम रोकथाम हेतु सतत निगरानी व अभियान की रणनीति प्रस्तुत की जाए।

14. **प्रशासनिक विभाग (ADM/CMO):**

i. जाति प्रमाण पत्र निर्गत/लंबित की अंचलवार स्थिति दी जाए।

ii. झरिया विस्थापन से प्रभावित परिवारों को मुआवजा भुगतान की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट आयोग को दी जाए।

15. **पंचायती राज विभाग:**

i. प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, एवं जिला परिषद प्रतिनिधियों हेतु बैठक कक्ष, बैठने व अभिलेखों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

16. एग्याकुंड पंचायत में दो दीप बोरिंग की आवश्यकता है तथा पंचायत क्षेत्र में स्थित एक तालाब की मरम्मत की आवश्यकता ग्रामीणों द्वारा आयोग के समक्ष रखी गई है। जिला प्रशासन से अपेक्षित है कि इन विषयों पर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा धनबाद जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

आशा लकड़ा
17/07/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi